उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

अतिक्रमण अपील वाद संख्या–68 / 2021

जगेश्वर प्रजापति बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अंचल अधिकारी, माण्डू

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी
18/02/2022		

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी जगेश्वर प्रजापति, पिता–स्व० मोती कुम्हार, ग्राम–बोंगाबार, पो०–बोंगाबार, थाना–माण्डू, जिला–रामगढ़ द्वारा अंचल अधिकारी, माण्डू के कार्यालय में दायर अतिक्रमण वाद संख्या–06 / 2020–21 में दिनांक– 08. 03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध Under Section 11 of the Jharkhand Public Land Encroachment Act-2000 के तहत् अपील दायर किया गया है। दायर अपील आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रविष्टि (Admission) के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा सुनवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अतिक्रमण वाद संख्या–06 / 2020–21 में दिनांक–08.03.2021 में पारित आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा प्रश्नगत भूमि मौजा–बोंगावार, खाता नं०–241, प्लॉट संख्या–2309, रकबा–0.10 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु दिनांक–08.03.2021 को की गई कार्रवाई विधि–संगत एवं पोषणीय नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि के बाबत अपना दावा–दस्तावेज रखने हेतु उचित समय नहीं दिया गया और न ही विधिवत कार्रवाई के तहत् आदेश पारित किया गया है। इन्होंने अपील आवेदन को अंगीकृत (Admit) करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग कर सुनवाई हेतु तिथि निर्धारण करने हेतु अनुरोध किया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि दायर अपील आवेदन कालबाद्वित है। अतिक्रमित भूमि के सम्बन्ध में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या–06 / 2020–21 प्रारम्भ करते हुए BPLE Act की धारा–3 के तहत् अतिक्रमणकारी को नोटिस निर्गत किया गया है। तत्पश्चात् अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा विधिवत प्रक्रिया के तहत् सुनवाई करते हुए दिनांक–08.03.2021 को आदेश पारित किया गया तथा BPLE Act की धारा–6 के तहत् नोटिस निर्गत करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है, जो विधि–संगत है। इन्होंने दायर अपील आवेदन अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

81

निष्कर्ष :—

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का बहस सुना तथा बहस के दौरान उपस्थापित कागजातों का अवलोकन किया, स्पष्ट है कि —

1. अतिक्रमण वाद संख्या—06/2020—21 में अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा दिनांक—08.03.2021 को पारित आदेश के आलोक में प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि मौजा—बोंगावार, खाता नं०—241, प्लॉट संख्या—2309, रकबा—0.10 एकड़ भूमि, जो गैरमजरूआ खास खाते की भूमि, से अतिक्रमण हटाने हेतु की गई कार्रवाई के विरूद्ध दिनांक—28.10.2021 को अपील आवेदन दायर किया गया है।
2. राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या—06/2020—21 प्रारम्भ करते हुए, अतिक्रमणकारी को BPLE Act की धारा—3 के तहत् नोटिस निर्गत किया गया तथा विधिवत सुनवाई कर अतिक्रमण हटाने हेतु BPLE Act की धारा—6 के तहत् नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक—08.03.2021 को कार्रवाई की गई है।
3. विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ द्वारा न्यायालय के समक्ष संज्ञान में लाया गया कि उक्त अपील आवेदन निर्धारित समयावधि के अन्दर दायर नहीं किया गया है। कालबाद्ध को क्षांत करने हेतु अपीलार्थी की ओर से दायर U/S-5 of the Limitation Act के तहत् दायर आवेदन में विलम्ब हेतु तथ्यात्मक/विशिष्ट कारण दर्शाया नहीं गया है, फलतः अपील आवेदन कालबाद्धित है, जो अधिनियम एवं प्रावधान के तहत् पोषणीय नहीं है।

आदेश :—

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ से सहमत होते हुए अतिक्रमण वाद संख्या—06/2020—21 में दिनांक—08.03.2021 को पारित आदेश के आलोक में अतिक्रमण हटाने हेतु अंचल अधिकारी, माण्डू द्वारा की गई कार्रवाई विधि—संगत है। अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन कालबाद्धित है तथा अपीलार्थी द्वारा कालबाद्ध को क्षांत करने हेतु, आवेदन में दर्शाया गया तथ्यात्मक/विशिष्ट कारण से सहमत होने का कोई तार्किक आधार नहीं है। अतः प्रविष्टि (Admission) के बिन्दु पर अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इस आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
18.02.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
18.02.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.02.21 14:14:48 +05:30
Location: 192.168.0.3